.

निविदा – मूल्य–590 / –(जी0एस0टी0सहित)

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडेरेशन लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)

नि0सू0सं0ः– 28(1-4)/ UCDF/Tender/2025-26, Date-20.12.2025

सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में भोजन व्यवस्था

(मैस) हेतु निविदा फार्म

वार्षिक दर हेतु अनुबन्ध

नोटः– कृपया तकनिकी निविदा व वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में रखकर दोनों को एक शील बन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक, कोरियर अथवा स्वयं से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.01.2026 को सांय 05:00 बजे तक जमा करें।

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0,
मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)
फोन नं0–05946–255867
ucdfltd@gmail.com

UTTARAKHAND CO-OPERATIVE DAIRY FEDERATION Ltd.,

Mangal Parao, Haldwani (Nainital)

Bank Details for Online submission of Tender Fees & EMD through RTGS/NEFT:-

Name of account holder	Uttaranchal Co-Opertaive Dairy Federation Ltd.
Name of Bank	Axis bank
Branch	Talli Haldwani (UT)
Account number	584010100013749
Type	Saving bank
IFSC Code	UTIB0000584

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव,
हल्द्वानी–263139

ई – निविदा सूचना सं0. 28(1-4)/ यूसीडीएफ/टैंडर / 2025-26, दिनांक -20.12.2025

निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुभवी, प्रतिष्ठित व वित्तीय रूप से सक्षम निर्माताओं अधिकृत डीलरों से निम्न कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है जो दिनांक 05.01.2026 को शाम 5:00 बजे तक प्राप्त व 06.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे खोले जायेगें।

क्र. सं.	कार्य का नाम	विवरण
1.	वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु डी0पी0एम0सी0यू0 की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग	**ऑन लाइन टैन्डर** – समस्त दस्तावेज ऑन लाईन ई–टैन्डर पोर्टल में देखे व डाउनलोड किये जा सकते हैं। **http://www.uktenders.gov.in**
2.	मिल्क केन दर निर्धारण (क्षमता 40 लि0)	
3.	हस्तचलित चैफ कटर की आपूर्ति	
4.	सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में भोजन व्यवस्था हेतु वार्षिक दर अनुबन्ध	**ऑफ लाइन टैन्डर** – निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा संस्था की वेबसाईट www.ucdfaanchal.org से डाउनलोड किया जा सकता है।
		सामान्य प्रबन्धक (प्रशा0)

सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल) में चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि के भोजन व्यवस्था हेतु शर्तेः–

1. एक निविदादाता से केवल एक ही निविदा–प्रपत्र मान्य होगा।
2. निविदायें, **प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तराखण्ड को–ओपरेटिव डेरी फैडरेशन लि0, के नाम से दिनांक 05.01.2026 को सांय 05:00 बजे तक उत्तराखण्ड को–ओपरेटिव डेरी फैडरेशन लि0 मंगल पड़ाव, हल्द्वानी** के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और ना ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा। दिनांक 06.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे निविदा कमेटी के सम्मुख खोली जायेंगी।
3. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में ''सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ (नैनीताल) में भोजन व्यवस्था हेतु निविदा'' तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निविदा की शर्तें एवं आवश्यक निर्देश के अन्त में स्थाई पता अंकन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक निविदादाता को निविदा–प्रपत्र में आवेदन करना है जो रू0 590.00 (जी0एस0टी0 सहित) नकद जमा कर कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में लेखा अनुभाग अथवा प्रशासन अनुभाग से प्राप्त किया जा सकेगा अथवा यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के वेबसाइड–**WWW.ucdfaachal.org** से भी डाउनलोड किया जा सकता है,जिसके लिए निविदा–प्रपत्र का शुल्क कार्यालय उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी में लेखा अनुभाग में नकद जमा किया जायेगा अथवा बैंक विवरण के अनुसार आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भी यू0सी0डी0एफ0लि0 के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है।
5. प्रत्येक निविदादाता को मु0 रू0 20,000.00 (बीस हजार रू0 मात्र) निविदा के जमानत के रूप में प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0लि0, मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के नाम मंगल पड़ाव में देय भुगतान का बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान की प्रति निविदा के साथ अथवा नगद कैशियर को यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगल पड़ाव, हल्द्वानी के कार्यालय में जमा करना होगा एवं टेण्डर फार्म के साथ मूल बैंक ड्राफ्ट अथवा नगद जमा धनराशि की रसीद की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करनी अनिवार्य होगी। साथ ही जिन निविदादाताओं द्वारा इस कार्यालय की निविदा संख्या 26(1–4)/यू0सी0डी0एफ0/मैस टैंडर/2025–26 दिनांक 24.11.2025 में जमानत राशी जमा की गई थी उनहें द्वितीय बार की गई निविदा में छूट दी जाएगी परन्तु निविदादाताओं को पूर्व में जमा की गई जमानत धनराशी की छाया प्रति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। टेण्डर अस्वीकृति की दशा में जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी तथा स्वीकृत हुए निविदादाता को जमानत के रूप में रू0 5,000.00 (रू0 पाँच हजार) मात्र और नगद अथवा आर0टी0जी0एस0 द्वारा जमा करना होगा। इस प्रकार कुल रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रू0 मात्र) जमा करना होगा। समस्त भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भी किये जा सकते हैं, जिसके भुगतान की प्रति निविदा–प्रपत्र के साथ से संलग्न किया जायेगा, यू0सी0डी0एफ0लि0 का बैंक विवरण निविदा–प्रपत्र के साथ संलग्न है।
6. स्वीकृत निविदादाता को रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रू0) मात्र बतौर जमानत जमा करना होगा जो अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त अदेयता प्रमाण पत्र दिए जाने पर स्वीकृत निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा। जमा धनराशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। भोजन बनाने हेतु सामान बर्तन आदि की व्यवस्था स्वयं स्वीकृत निविदादाता को करनी होगी। यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगलपडाव, हल्द्वानी अन्तर्गत सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल) द्वारा केवल किचेन एवं भोजन कक्ष ही उपलब्ध कराया जायेगा।

7. अस्वीकृत निविदादाता की टेण्डर जमानत धनराशि एकाउन्ट पे चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सामान्यतया एक सप्ताह में वापस कर दी जायेगी।
8. निविदा प्रपत्र में सभी अपेक्षित जानकारी तथा एकमुश्त व अलग–अलग एवं शब्दों में भरा जाना अनिवार्य होगा। किसी विवरण को पूर्ण रूप से न भरने तथा हस्ताक्षर, नाम एवं पता स्पष्ट न पाये जाने पर अथवा गलत पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
9. स्वीकृत निविदा का अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी परन्तु आवश्यकता पड़ने पर प्रबंध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0 द्वारा अनुबन्ध को आवश्यकतानुसार तीन माह तक की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु, यदि निविदित फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, निर्धारित मानक के अनुसार भोजन व्यवस्था, किचेन की सफाई, भोजन व्यवस्था में कार्य कर रहे स्टाफ का व्यवहार आदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो प्रबन्ध निदेशक द्वारा अनुबन्ध की अवधि के मध्य में भी एकपक्षीय अनुबन्ध समाप्त कियया जा सकेगा।
10. स्वीकृत निविदादाता प्रशिक्षण केन्द्र में आने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए दिये गये मीनू के अनुसार भोजन, जलपान आदि की व्यवस्था करेगा, जिसके लिए यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगल पड़ाव, हल्द्वानी स्वीकृत निविदादाता को स्वीकृत दर पर प्रति प्रशिक्षणार्थी/प्रतिदिन/प्रति मील के हिसाब से भुगतान करेगा, प्रशिक्षणार्थियों की संस्था का सत्यापन संस्थान में वार्डन का कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे अन्य कार्मिक, जिन्हें इस पद हेतु दायित्व निर्धारित किया गया है, के द्वारा किया जायेगा। निविदाताता द्वारा मीनू की दर जी0एस0टी0 सहित अंकित किया जायेगा।
11. स्वीकृत निविदादाता पाक्षिक अथवा मासिक रूप से भोजन व्यवस्था का बिल प्रस्तुत करेगा, जिसका सामान्यतया पाक्षिक/मासिक (यथास्थिति) भुगतान किया जायेगा।
12. अधिकृत प्रतिनिधि (संस्थान में वार्डन का कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक एवं प्रशिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे अन्य कार्मिक, जिन्हें इस हेतु दायित्व निर्धारित किया गया है) के माध्यम से स्वीकृत निविदादाता को सामान्यतया 06 (छः) घण्टे पहले प्रशिक्षणार्थियों के आगमन व संख्या की सूचना दी जायेगी जिसके लिए उसको भोजन व्यवस्था करनी होगी।
13. अवकाश अवधियों या अन्य किसी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम यदि स्थगित किये जाते हैं या कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है तो यू0सी0डी0एफ0लि0/सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी परन्तु कार्यक्रम स्थगित की सूचना सामान्यतया 06 घण्टे पूर्व अवगत करा दी जायेगी।
14. रसोईघर, डायनिंग हॉल, टेबल–कुर्सी एवं बर्तनों आदि की प्रतिदिन साफ–सफाई अनिवार्य होगी व स्वीकृत निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। साथ ही, संस्था का रेफ्रिजरेटर/डीप फ्रिज, ईमरसन रॉड, बर्तन आदि के उपयोग करने पर उसकी मैन्टेनेन्स की व्यवस्था निविदादाता की होगी। टूट फूट/मरम्मत आदि का व्यय निविदादाता को वहन करना पड़ेगा। रसोईघर एवं डायनिंग हॉल में लगे बल्ब, टयूबलाईट एवं पंखे आदि के खराब हाने पर स्वीकृत निविदादाता द्वारा स्वयं बदलना अथवा मरम्मत कराना होगा।
15. उपवास/व्रत वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए पृथक् से भोजन व्यवस्था करनी होगी। उपवास के भोजन में दूध एवं फल की व्यवस्था (मीनू के अनूसार) भी स्वीकृत निविदादाता को करनी पड़ेगी।
16. यदि अन्य किसी भी कारण से स्वीकृत निविदादाता स्वयं द्वारा एकपक्षीय यह ठेका छोड़कर चला जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। यदि किसी कारणवश प्रशिक्षणार्थियों को समय पर भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगल पडाव, हल्द्वानी को अधिकार होगा कि वह ऐवज में वैकल्पिक व्यवस्था करवा लें तथा जो भी अतिरिक्त व्यय भार आता है उसकी वसूली स्वीकृत निविदादाता के बिलों/देयकों एवं जमानत राशि से कर लें।
17. भोज्य सामग्री की गुणवत्ता उच्चकोटि की होनी चाहिए, घी/तेल सरसों/रिफाइन्ड केवल एगमार्क का ही प्रयुक्त करना होगा एवं मसाले भी एगमार्क ही प्रयोग करने होंगे तथा चक्की का आटा, चावल

शरबती ही प्रयुक्त किया जायेगा। पापड़, अचार, एगमार्क ही प्रयुक्त किया जायेगा। दूध एवं दुग्ध पदार्थ आँचल ब्राण्ड के ही प्रयोग करने होगे। गैर अधिकारी वर्ग के मीनू में शरबती चावल (उच्चकोटि) का होना आवश्यक है तथा अधिकारी वर्ग के मीनू में बासमती चावल (उच्चकोटि का, जिसका बाजार दर मु0रू0 100.00 प्रति किलोग्राम से कम ना हो) का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

18. निविदित फर्म का यह दायित्व होगा कि प्रशिक्षणार्थियों को भोजन आदि परोसने/सर्व करने एवं उसकी देख–रेख हेतु मानव संसाधन की उचित व्यवस्था रखनी होगी, अन्यथा कि स्थिति में समय पूर्व निविदा समाप्त की जा सकती है तथा ऐसी स्थिति में जमानत राशि को वापस नहीं किया जायेगा।
19. भोजन की स्वच्छता, पाचकता, पौष्टिकता का समय–समय पर यू0सी0डी0एफ0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों/भोजन व्यवस्था कमेटी के सदस्यों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा और यदि व्यवस्था, स्वच्छता या भोजन की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं पायी जाती है तो अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा तथा निविदा की कार्यवाही में वरीयता के आधार पर दूसरे वरीयता की फर्म/निविदाकर्ता को अनुबन्ध हेतु स्वीकृत किया जा सकेगा।
20. निविदादाता का एफ.एस.एस.ए.आई. अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य है।
21. निविदादाता अथवा उनके कर्मचारियों के साथ प्रशिक्षण संस्थान परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
22. निविदादाता द्वारा लगाए गए कर्मचारी यदि चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या संस्थान को किसी प्रकार से हानि पहुँचाता है तो उस पर जुर्माना (पैनाल्टी) लगाने का अधिकार यू0सी0डी0एफ0 के पास होगा। जुर्माना की वसूली निविददाता के बिल से क्षति की दोगुनी धनराशि की जाएगी।
23. निविदादाता के कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित अधिकृत प्रभारी के निर्देशों का पालन न करने अथवा संस्था के हितों के विरूद्ध कार्य करने अथवा मादक पदार्थों का सेवन किए हुए पाए जाने की दशा में उस कर्मचारी को निविदादाता द्वारा यू0सी0डी0एफ0 की सूचना पर तत्काल कार्य से पृथक् करना होगा।
24. निविदादाता द्वारा रखे गए कर्मचारी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा भोजन व्यवस्था के कार्यों के लिए सक्षम हो।
25. निविदादाता को अपने कर्मचारियों का पहचान पत्र अपने स्तर से निर्गत कराना अनिवार्य होगा। जो गेट पर सुरक्षा गार्ड को अवलोकन कराने पर ही परिसर में आने दिया जाएगा तथा अपने कर्मचारियों के आधार कार्ड का छायाप्रति प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय में जमा करना होगा। कर्मचारी बदले जाने पर इसकी पूर्व सूचना प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालय को देना होगा।
26. प्रशिक्षणार्थियों की दैनिक भोजन आदि की व्यवस्था का मीनू संलग्न है उसी मीनू के अनुरूप व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। केवल विशेष परिस्थितियों में मीनू में परिवर्तन की स्थिति में कारण सहित लिखित प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी (प्रशि0), सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
27. स्वीकृत निविदादाता को समय–समय पर निरीक्षण कर स्थिति में सुधार लाने के लिए जो भी निर्देश दिये जायेंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्देशों की अवहेलना करने पर आवश्यक कार्यवाही के लिए यू0सी0डी0एफ0 स्वतन्त्र होगा।
28. यदि चेतावनी के उपरान्त भी निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो यू0सी0डी0एफ0 को यह अधिकार होगा कि वह भोजन व्यवस्था का अनुबन्ध/कॉन्ट्रेक्ट बिना किसी पूर्व सूचना या अन्य औपचारिकता के निरस्त कर लें।
29. स्वीकृत निविदादाता को अपने कर्मचारियों के नाम एवं पूरा पता लिखित रूप में देना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह एवं उसके कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान पर मर्यादासम्मत आचरण करेंगे। किसी कर्मचारी को उनके द्वारा मर्यादासम्मत व्यवहार न करने पर प्रभारी अधिकारी (प्रशि0), प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशों पर तत्काल हटाना अनिवार्य होगा तथा ऐसा न करने पर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।

30. निविदादाता के द्वारा जो भी कार्मिक कार्य में लगाए जाने हैं उनके समस्त वैधानिक देयकों (ई.पी.एफ. ,ई.एस.आई. आदि हो) के लिए निविदादाता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगा।
31. लन्च के स्थान पर परिस्थितिवश/प्रशिक्षणार्थियों के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान साधारण लन्च पैकेट मांग के अनुसार देना होगा ।
32. भुगतान हेतु बिल राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित व्यापार कर/सेवाकर पंजीकरण उल्लेख के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
33. निविदा स्वीकृति उपरान्त अर्ह/स्वीकृत निविदादाता को 100/–रू0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा।
34. स्वीकृत निविदादाता को अनुबन्ध की तिथि के एक माह के अन्दर स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के यहाँ अपना पंजीकरण करवाते हुए प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जलपान/भोजन सामग्री के सेवन उपरान्त यदि किसी भी प्रशिक्षणार्थी एवं आगन्तुकों को कोई प्रतिकूल शारीरिक लक्षण, किसी भी प्रकार की बीमारी आदि होती है तो उसके लिए चयनित/ स्वीकृत निविदादाता की पूर्ण वैद्यानिक जिम्मेदारी होगी।
35. निविदादाता किसी प्रकार से संस्था (सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ/ यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी) अथवा संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध उपभोक्ता फोरम,माननीय न्यायालय अथवा किसी संस्था से विवादित अथवा किसी वैधानिक विवाद में लिप्त नहीं होना चाहिए। स्वीकृत निविदादाता द्वारा इस आशय का घोषणा पत्र रू0 100.00 (एक सौ रू0) के स्टाम्प पेपर में देना होगा।यदि ऐसा पाया जाता है तो तत्काल कार्य से पृथक् कर दिया जायेगा। यदि किसी फर्म द्वारा अथवा फर्म के प्रोपराईटर द्वारा अथवा उसके परिवार द्वारा पूर्व में संस्थान के विरूद्ध इस प्रकार की कोई विवादित कार्यवाही हेतु पत्राचार/प्रयास किया गया हो तो ऐसे फर्मों अथवा प्रोपराईटर को निविदा के तकनीकी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
36. यदि पूर्व में किसी निविदादाता की सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में भोजन–व्यवस्था का कार्य किया गया है तथा उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है, विवादित रहा है तो उनकी निविदा प्राप्त होने पर ऐसे फर्म/फर्मों अथवा प्रोपराईटर की तकनिकी बिड को न्यनतम आगामी 05(पाँच) वर्षों तक स्वीकार नहीं किया जा सकेगा, जिसकी अवधि प्रबंध निदेशक द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।
37. किसी भी निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, यू0सी0डी0एफ0लि0 मंगलपडाव, हल्द्वानी के पास सुरक्षित रहेगा।
38. निविदा निष्पादन के दौरान/उपरान्त यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद का अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक यू0सी0डी0एफ0लि0, हल्द्वानी (नैनीताल) का होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
39. निविदा उपरान्त स्वीकृत निविदाकर्ता से अनुबन्ध, प्रभारी अधिकारी (प्रशि0), यू0सी0डी0एफ0लि0/सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ द्वारा अथवा प्रबन्ध निदेशक द्वारा निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
40. समस्त निविदायें पंजीकृत डाक, कुरियर अथवा स्वयं कार्यालय में आकर (सील बन्द लिफाफे में) जमा किया जा सकता है।
41. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक्–पृथक् दो लिफाफों मे सील बन्द किया जायेगा तथा इन दोनों लिफाफों को एक बडे लिफाफे में सील बन्द किया जायेगा। किसी भी दशा में एक से अधिक लिफाफा (वित्तीय एवं तकनीकी बिड सहित) स्वीकार नहीं होगा। तकनीकी बिड हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों के संलग्न होने पर अर्थात तकनीकी बिड में सफल होने के उपरान्त ही सम्बन्धित उन निविदादाता/निविदादाताओं का वित्तीय विड खोला जायेगा।
42. किसी संस्था में भोजन–व्यवस्था में न्यूनतम विगत दो वर्षों में सन्तोषजनक कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है।यदि किसी निविदादाता द्वारा सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में विगत

05 वर्षों में किसी भी वर्ष/वर्षों में भोजन–व्यवस्था का कार्य किया गया हो तो कार्य किये गये अवधि का संस्थान से संतोषजनक कार्य किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

43. संबंधित फर्म का विगत न्यूनतम दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 10.00 लाख हो, जिसके लिए ऑडिटेड संतुलन–पत्र/सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर की छायाप्रति संलग्न करना होगा। किन्तु एन0आर0एल0एम0 में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह द्वारा निविदा भरे जाने की स्थिति में उक्त दो वर्षों में औसत वार्षिक टर्न ओवर की न्यूनतम सीमा रू0 03.00 लाख (तीन लाख) की होगी। निविदा–प्रपत्र के साथ अद्यतन इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकटस की प्रति भी संलग्न किया जायेगा।
44. एल0–01 निविदादाता का निर्धारण मीनू 01 (गैर अधिकारी वर्ग) की दर के अनुरूप किया जायेगा।
45. उक्त निविदा से सम्बन्धित समस्त कार्यवहियां उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुसार होगी।

....

कार्यालय–उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0 मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)

AANCHAL

निविदा फार्म– भोजन व्यवस्था (तकनीकी बिड)– 01

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

फार्म संख्या– [ ] निविदा प्रपत्र मूल्य– 590 रु0 (पाँच सौ नब्बे)(समस्त कर सहित)

1– निविदादाता का नाम – .... ।
2– निविदादाता का पता –
(अ) स्थाई पता – ....
....
....
(ब) पत्राचार का पता – ....
....
....

पासपोर्ट साईज की प्रमाणित नवीनतम रंगीन फोटो लगाएं स्वप्रमाणित

तकनीकी बिड में निम्न स्वप्रमाणित प्रपत्र संलग्न करने आवश्यक है:–

1. जी.एस.टी. पंजीकरण नम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें) –
2. एफ.एस.एस.ए.आई. पंजीकरण नम्बर (प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करें)–
3. पैन नम्बर (छायाप्रति भी संलग्न करें)–
4. आधार कार्ड (छायाप्रति भी संलग्न करें)–
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की छायप्रति संलग्न करें।
6. विगत दो वर्षो में किसी संस्था में कार्य किया गया हो तो संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र।
7. एन0आर0एल0एम0 द्वारा पंजीकृत स्वयं सहायता समूह द्वारा निविदा भरे जाने की स्थिति में पंजीकरण संख्या. .... दिनांक...................... (प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें)
8. निविदा के समक्ष जमा अर्नेस्टमनी का विवरण – (मूल प्रति संलग्न करें)
   ड्राफ्ट संख्या /रसीद संख्या :–..............................धनराशि –...................................दिनांक .... ।
9. संलग्न–मीनू सूचियों के अनुसार दरें देनी होगी, जो वित्तीय बिड के लिफाफे में रखा जायेगा।
10. फर्म का विगत दो वर्षो (वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25) का वार्षिक टर्न ओवर (छायाप्रति भी संलग्न करें)।
11. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर , नाम तथा पता जो निविदादाता को भली भाँति जानते हों।
    1–..
    ....
    2– ....
    ....

घोषणा

मैंने निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तो को भली–भाँति पढ़ लिया है। तदोपरान्त ही निविदा प्रपत्र भरा गया है।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर निविदादाता –
नाम –
पिता/पति का नाम –
फर्म का नाम/मुहर/सील–
मो0/फोन नं0 –

सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उतराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल)
(मीनू–01) गैर–अधिकारी वर्ग

दिवस	प्रातः 06:00 बजे	नाश्ता (प्रति व्यक्ति) 08:00 बजे	11:00 बजे	लंच (01:30 बजे दिन में)	सांय 03:45 बजे	डिनर (08:30 बजे रात्रि)
प्रथम दिवस	चाय	रोटी, सब्जी, अचार, चाय	चाय	मिक्स साबूत दाल, चावल शरबती, रोटी, सूखी सब्जी, दही, सलाद, अचार, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय, बिस्किट	चने की दाल, रोटी, मिक्स वेज, चावल शरबती, सलाद, सिवइयां।
द्वितीय दिवस	चाय	सादे पराठे, रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय	अरहर की दाल, चावल शरबती, रोटी, सब्जी, रायता , सलाद, अचार, योगर्ट / समकक्ष	चाय, समोसा 01 पीस	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, गुलाब जामुन (01 पीस)
तृतीय दिवस	चाय	पूरी, काले चने की रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय	कढ़ी (पकौड़ी वाली), चावल शरबती, रोटी, सब्जी, सलाद, पापड़, सीजनल फल	चाय, पोहा	साबुत मल्का की दाल, रोटी, चावल शरबती, सब्जी रसेदार ,रायता, हल्वा
चतुर्थ दिवस	चाय	रोटी, सब्जी, अचार, चाय	चाय	उड़द– चने की दाल, रोटी, चावल शरबती, सब्जी (सूखी), सीजनल फल, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय, पकौड़ी	मिक्स दाल, चावल शरबती, रोटी, सब्जी, बूंदी के लडडू (01 पीस)
पंचम दिवस	चाय	आलू के पराठे, अचार, दही 200 ग्राम, चाय	चाय	मिक्स दाल, चावल शरबती, रोटी , सब्जी (सूखी), सलाद, रायता, अचार	चाय, समोसा 01 पीस	छोले , चावल शरबती, रोटी, सब्जी (सूखी), सलाद, खीर
षष्ठी दिवस	चाय	सादे पराठे, रसेदार सब्जी, अचार, चाय,	चाय	राजमा की दाल, चावल शरबती, रोटी, हरी सब्जी (सूखी), रायता, अचार , फ्रूट योगर्ट	चाय, ब्रैड पकौड़ा	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, सिवइयां।
सप्तम दिवस	चाय	पूरी , आलू – टमाटर की रसेदार सब्जी, अचार, चाय,	चाय	कढ़ी (पकौड़ी वाली) ,चावल शरबती, रोटी, सब्जी (सूखी), पापड़।	चाय, बिस्किट	कोफताकरी, रोटी, चावल शरबती, मिक्स दाल, सलाद, रायता, मिठाई एक पीस

नोटः– 1. 07 दिन से अधिक प्रशिक्षण होने पर पुनः प्रथम दिवस से मीनू दोहराया जाएगा।
2. व्रत रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 06 पीस केला, व 250 मि0ली0 दूध 02 बार देना होगा।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर निविदादाता –
नाम –
पिता / पति का नाम –
फर्म का नाम / मुहर / सील –
मो0 / फोन नं0 –

सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड, लालकुआँ (नैनीताल)
(मीनू–02) अधिकारी वर्ग

दिवस	प्रातः 06:00 बजे	नाश्ता (प्रति व्यक्ति) 08:00 बजे	11:00 बजे	लंच (01:30 बजे दिन में)	सांय 03:45 बजे	डिनर (08:30 बजे रात्रि)
प्रथम दिवस	चाय	आलू के पराठे, अचार, दही,, चाय	चाय / कॉफी	दाल मक्खनी, चावल बासमती, रोटी, सूखी सब्जी, रसेदार सब्जी, सलाद, अचार पापड, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय + बिस्किट	चने की दाल, रोटी, मशरूम की सब्जी, चावल बासमती, सलाद, मिक्स वैज, गुलाब जामुन (01 पीस)
द्वितीय दिवस	चाय	पोहा (मूँगफली वाली), फल एवं चाय	चाय / कॉफी	अरहर की दाल , जीरा राईस बासमती, रोटी, मिक्स वैज, छोले, सलाद, अचार, पापड, फ्रूट योगर्ट	चाय , समोसा 01 पीस	मिक्स दाल, पनीर की सब्जी (रसेदार), रोटी, पुलाव, मिक्स वैज, रसमलाई। (01 पीस)
तृतीय दिवस	चाय	पूरी, काले चने की रसेदार सब्जी, अचार, चाय	चाय / कॉफी	कढ़ी (पकौड़ी वाली अथवा राजमा, चावल बासमती, रोटी, सब्जी रसेदार, मिक्स वैज, सलाद, अचार, पापड़, आईसक्रीम / समकक्ष	चाय + ब्रेड पकौडा	साबुत मल्का की दाल, रोटी, चावल बासमती, सब्जी रसेदार, मिक्स वैज सलाद, छेना सफेद रसगुल्ला (01 पीस)

नोटः– 1. व्रत रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को 04 पीस केला, 01 सेब व 250 मि0ली0 दूध 02 बार देना होगा।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर निविदादाता –
नाम –
पिता / पति का नाम –
फर्म का नाम / मुहर / सील–
मो0 / फोन नं0 –

मीनू सूची अनुसार निविदा दर (वित्तीय बिड)

मैं, सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान, लालकुआँ में संलग्न मीनू अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से चाय नास्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन आदि उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी, जिसका विवरण प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निम्नवत् हैं:–

क0सं0	विवरण/समय	प्रति दिन की दर (with GST) (मीनू–01) (गैर–अधिकारी वर्ग)	प्रति दिन की दर (with GST) (मीनू–02) (अधिकारी वर्ग)
1	सुबह की चाय (06 बजे)	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
2	नास्ता–चाय (08 बजे)	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
3	11:30 बजे की चाय/कॉफी	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
4	दिन का भोजन (01:30 अपरान्ह)	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
5	03:45 बजे की चाय, नास्ता	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
6	रात्रि का भोजन (08:30 बजे)	रू0................................की दर से	रू0...........................की दर से
	कुल योग अंकों में:–		
	शब्दों में:–		

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम एवं पता ....